औद्योगिक अल्कोहल विनियमन

प्रलिम्सि के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर (GST), सातवीं अनुसूची

मेन्स के लिये:

नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, राज्य के राजस्व सृजन में उत्पाद शुल्क की भूमिका और इसका प्रभाव

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में **9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ** के साथ एक मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क को विनियमित करने और लगाने का अधिकार है।

नोट:

- मादक पेय पदार्थों के विपरीत, औद्योगिक अल्कोहल **मानव उपभोग (विकृत) के लिये नहीं** है। इसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जिसमें फार्मास्युटिकल्स, कीटाणुनाशक, रसायन और यहाँ तक कि जैव ईंधन का निर्माण भी शामिल है।

औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में संवैधानिक विवाद क्या है?

- **संवैधानिक ढाँचा:**
  - **राज्य सूची (प्रविष्टि 8):** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 8 मादक अल्कोहल के उत्पादन, निर्माण, अधिकार, परिवहन, खरीद और बिक्री से संबंधित कानून बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति से संबंधित है।
  - **संघ सूची (प्रविष्टि 52):** यह संसद को सार्वजनिक हित में समीचीन समझे जाने वाले उद्योगों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
  - **समवर्ती सूची (प्रविष्टि 33): राज्यों और केंद्र दोनों** को उद्योगों पर कानून बनाने की अनुमति देती है, इस शर्त के साथ कि राज्य के कानून केंद्रीय कानूनों का खंडन नहीं कर सकते।
  - औद्योगिक अल्कोहल **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA)** के अंतर्गत आता है, जो इसे विनियमन की वस्तु के रूप में सूचीबद्ध करता है। संसद का यह अधिनियम केंद्र सरकार को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **मुख्य मुद्दा:**
  - केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की स्वायत्तता है या क्या विशेष नियंत्रण केंद्र के पास है।
- **कानूनी व्याख्या:**
  - समवर्ती सूची के विषयों को **राज्य और केंद्र दोनों द्वारा विनियमित किया जा सकता है**, लेकिन राज्य के कानून केंद्रीय कानून के साथ टकराव नहीं कर सकते।
    - IDRA 1951, जो औद्योगिक अल्कोहल को सूचीबद्ध करता है, विषय वस्तु पर केंद्रीय नियंत्रण की व्याख्या करता है।

राज्यों के तर्क क्या हैं?

- **प्रविष्टि 8 की व्याख्या:**

- यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में "नशीली शराब" वाक्यांश में **अल्कोहल युक्त सभी तरल पदार्थ शामिल हैं।**
    - संवैधानिक उत्पाद शुल्क कानूनों में 'शराब (liquor)', 'मद्यसार(spirit)' और 'नशीला पदार्थ (intoxicant)' जैसे शब्दों के ऐतिहासिक उपयोग पर बल दिया गया है।
- **संघ की शक्ति का क्षेत्र:**
  - यह तर्क दिया जाता है कि **संघ सूची की प्रविष्टि 52 विकृतीकरण के बाद** औद्योगिक अल्कोहल जैसे **"तैयार उत्पादों" के विनियमन** तक विस्तारित नहीं होती है।
    - यह दावा किया गया है कि ऐसा नियंत्रण **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत** आता है। औद्योगिक अल्कोहल विनियमन पर विशेष अधिकार का प्रयोग करने के लिये, केंद्र को **IDRA की धारा 18-G के तहत एक आदेश जारी करने की आवश्यकता होगी।** ऐसे आदेश के बिना, राज्य क्षेत्राधिकार बरकरार रखते हैं।
    - **'विकृत अल्कोहल'** शब्द का तात्पर्य **ज़हरीले या खराब स्वाद** वाले एडिटिव्स (जैसे मेथनॉल, बेंजीन, पाइरीडीन, अरंडी का तेल, गैसोलीन और एसीटोन) की मिलावट वाले अल्कोहल उत्पादों से है, **जो इसे मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त बनाता है।**
- **राज्यों की शक्तियों का संरक्षण:**
  - **राज्यों के घटते अधिकार** के प्रति सावधानी व्यक्त की गई है। ***ITC [illegible], 2002*** का हवाला देते हुए, जो इस बात पर बल देता है कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं हैं।
    - यह राज्यों की संवैधानिक शक्तियों को बनाए रखने और उनकी स्वायत्तता को कमज़ोर करने वाली व्याख्याओं से बचने की आवश्यकता पर बल देता है।

अन्य मामले क्या हैं?

- **सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1989:**
  - **7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने माना कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार राज्यों की शक्तियाँ **"नशीली शराब"** को विनियमित करने तक सीमित थीं, **जो औद्योगिक अल्कोहल से भिन्न** है।
    - मूलतः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **केवल केंद्र ही ऐसी औद्योगिक शराब पर लेवी या कर लगा सकता है** जो मानव उपभोग के लिये नहीं है।
  - सर्वोच्च न्यायालय **चौधरी टीका रामजी बनाम यू.पी. राज्य मामले, 1956** में अपने ही पूर्व संविधान पीठ के फैसले पर विचार करने में विफल रहा।
- **चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1956:**
  - **इस मामले में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) की धारा 18-G** के तहत विशेष केंद्रीय क्षेत्राधिकार का दावा करने वाली चुनौती के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने गन्ना उद्योग को विनियमित करने वाले उत्तर प्रदेश के कानून को बरकरार रखा।
    - सत्तारूढ़ ने संघीय शासन के लिये एक महत्त्वपूर्ण मिसाल कायम करने वाले केंद्रीय कानूनों की उपस्थिति में भी उद्योगों से संबंधित कानून बनाने के राज्यों के अधिकार की पुष्टि की।

उत्पाद शुल्क क्या है?

- उत्पाद शुल्क **एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं पर उनके उत्पादन,** लाइसेंसिंग और बिक्री के लिये लगाया जाता है। यह वस्तु के उत्पादकों द्वारा भारत सरकार को भुगतान किया जाता है और **देश के बाहर से आने वाले माल पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के विपरीत, घरेलू स्तर पर निर्मित माल पर लागू होता है।**
  - इससे पहले केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क को **केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क** आदि के रूप में लगाया जाता था। हालाँकि **जुलाई 2017 में [वस्तु और सेवा कर (GST)]** की शुरुआत ने कई प्रकार के उत्पाद शुल्क को शामिल किया। **वर्तमान में उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और अल्कोहल पर लागू होता है।**
    - **विनिर्मित वस्तुओं** के निर्माण के समय उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जबकि **वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति** पर GST लगाया जाता है।
- **अल्कोहल पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक है,** राज्य अक्सर अपनी आय बढ़ाने के लिये अल्कोहल की खपत पर उत्पाद शुल्क जोड़ते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में कर्नाटक ने भारतीय निर्मित शराब (IML) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (AED) में 20% की बढ़ोतरी की।

विशेषताएँ	**परिशुद्ध अल्कोहल**	**विकृतीकृत अल्कोहल**
घटक	शुद्ध इथेनॉल (C_2H_5OH) न्यूनतम या बिना किसी योजक/विकृतीकरण के	इथेनॉल (C_2H_5OH) योजक/विकृतीकरण की उच्च सांद्रता के साथ।
सुरक्षा	पीने योग्य लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ सेवन किया जाना चाहिये।	विषैला और उपभोग के लिये अनुपयुक्त।
योजक	इसमें थोड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ हो सकती हैं।	इसमें उच्च मात्रा में मेथनॉल जैसे योजक होते हैं, जो इसे विषाक्त बनाते हैं।

विशेषताएँ	परिशुद्ध अल्कोहल	विकृतीकृत अल्कोहल
घटक	शुद्ध इथेनॉल (C_2H_5OH) न्यूनतम या बिना किसी योजक/विकृतीकरण के	इथेनॉल (C_2H_5OH) योजक/विकृतीकरण की उच्च सांद्रता के साथ।
सुरक्षा	पीने योग्य लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ सेवन किया जाना चाहिये।	विषैला और उपभोग के लिये अनुपयुक्त।
अनुप्रयोग	प्रयोगशाला अनुप्रयोग (उदाहरण के लिये सतहों को कीटाणुरहित करना, रसायन निकालना), चिकित्सा अनुप्रयोग (उदाहरण के लिये, उपकरणों को स्टरलाइज़ करना, आदि)	औद्योगिक उपयोग (उदाहरण के लिये, ईंधन, सफाई सॉल्वैंट्स), विषाक्तता के कारण चिकित्सा या प्रयोगशाला सेटिंग्स में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
गंध और स्वाद	विशिष्ट अल्कोहलिक गंध, थोड़ा मीठा स्वाद	दुर्गंध, कड़वा स्वाद
कराधान	इसकी शुद्धता के कारण उच्च करों की संभावना है।	पीने योग्य इसकी अनुपयुक्तता के कारण कम कर दर या कर-मुक्त

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न . औद्योगिक शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने और विनियमित करने के राज्यों के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इसके परिणाम केंद्र - राज्य संबंधों और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष प्रश्न

?????:

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई, 2017 से क्रियान्वित GST के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये। (2019)

प्रश्न. संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइये। क्या आप समझते हैं कि यह "करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिये साझा राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराने" में काफी प्रभावकारी है? (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/industrial-alcohol-regulation